आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मैनुअल – तेरह

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(**xiii**),

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण तथा पात्रता निम्न प्रकार है:–

1–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन0एफ0एस0ए0)– उत्तराखण्ड राज्य में अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गयी जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय परिवार तथा प्राथमिक परिवार (बी0पी0एल0 त्र ए0पी0एल0 के ऐसे परिवार जिनकी आय 15000 मासिक से कम हो आते है जिन्हें 2.00 किलो ग्राम गेहूँ प्रतियूनिट प्रतिमाह (2. 00 रू0 प्रति किलो ग्राम) तथा 3.00 किलो ग्राम चावल प्रतियूनिट प्रतिमाह (3.00 रू0 प्रति किलोग्राम) आते है ।

वितरण स्केल / दरें	गेहूँ	चावल
AAY – प्रतिकार्ड – 35 किग्रा0 खाद्यान्न।	13.300 किग्रा0 / 02 रू0 प्रति किग्रा0	21.700 किग्रा0 / 03 रू0 प्रति किग्रा0
PHH – प्रति यूनिट – 05 किग्रा0 खाद्यान्न।	2.000 किग्रा0 / 02रू0 प्रति किग्रा0	3.000 किग्रा0 / 03रू0 प्रति किग्रा0

2– राज्य खाद्य योजना (एस0एफ0वाई0) – उत्तराखण्ड राज्य में अक्टूबर 2015 से राज्य खाद्य योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत ऐसे ए0पी0एल0 परिवार जिनकी वार्षिक आय पॉच लाख से कम हो आते है जिन्हे 5.00 किलो ग्राम गेहूँ प्रतिकार्ड प्रतिमाह (8.60 रू0 प्रतिकिलो ग्राम) तथा 2.50 किलो ग्राम चावल प्रतिकार्ड प्रतिमाह (11. 00 रू0 प्रतिकिलोग्राम) आते है ।

वितरण स्केल / दरें	गेहूँ	चावल
SFY प्रति कार्ड 15 किलो ग्राम खाद्यान्न	05 किग्रा0 / 8.60 रू0 प्रति किलोग्राम	2.50 किग्रा0 / 11.00 रू0 प्रति किलोग्राम

- कैश डी0बी0टी0 राज्य खाद्य योजना में कैश डी0बी0टी0 1 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ। राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 7.5 किग्रा चावल की सब्सिडी की धनराशि के बराबर मूल्य की धनराशि 75 रू0 कार्डधारकों के एकाउन्ट में। राज्य खाद्य योजना के लगभग 09.88 लाख राशन कार्डधारक (आधार सीडेड 98 प्रतिशत, बैंक सीडेड 55 प्रतिशत) पर लागू।

- चीनी :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना व राज्य खाद्य योजना के प्रचलित यूनिटों को 01 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड मूल्य रू0 13.50 प्रति किलो ग्राम की दर से उपलब्ध करायी जा रही है ।

* **मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना :-**
  - उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में प्रचलित अन्त्योदय अन्त्योदय अन्न योजना, प्राथमिक परिवारों एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 23 लाख कार्डधारकों को सब्सिडाईज दरों पर दाल उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना लागू की गई है ।
  - इस योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 2.00 किग्रा0 दाल मासिक रूप से बाजार भाव से कम दरों पर राज्य के सभी राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जायेगी ।
  - इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ` 15.00 प्रति किग्रा0 की सब्सिडी दी जायेगी ।
  - इस योजना से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध होने से बाजारी मूल्य नियंत्रित होने के साथ–साथ मंहगाई से राहत मिली है तथा प्रोटी युक्त दाल से उपभोक्ताओं को पोषण भी प्राप्त हो रहा है।

……………………………….